

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या

15/26/18

प्रवेश तिथि

26-03-2019

निर्णय दिनांक

18-06-2019

1-एच.डी.एफ.सी.बैंक लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय एच.डी.एफ.सी.बैंक हाउस सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल मुम्बई जिसका शाखा कार्यालय 155-156 राठी चेम्बर बासनी कृषि मण्डी के सामने जोधपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है।

प्रार्थी

--::बनाम ::--

- 1-मैसर्स हिमानी इन्सूलेशन जरिये प्रोपराइटर श्री समीर रॉय पता फ्लेट नं. 222 जानकी अपार्टमेन्ट प्लॉट नं. 7 सेक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली 110075
- 2-श्री समीर रॉय पुत्र श्री बद्री नारायण रॉय पता फ्लेट नं. 222 जानकी अपार्टमेन्ट प्लॉट नं. 7 सेक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली 110075 दूसरा पता फ्लेट नं. 52, 6TH मंजिल टॉवर एक हील व्यू गार्डन ग्राम थाडा भीवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।
- 3-श्रीमती हिमानी चन्डोला पत्नी श्री समीर रॉय पता फ्लेट नं. 222 जानकी अपार्टमेन्ट प्लॉट नं. 7 सेक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली 110075

अप्रार्थी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

--:: निर्णय ::--

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति श्री समीर रॉय पुत्र श्री बद्री नारायण रॉय की आवासीय सम्पत्ति जो फ्लेट नं. 52.6TH मंजिल टॉवर नं. एम हील व्यू गार्डन भीवाडी जिला अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसके साथ कार पार्किंग नं0 458 भी है। जिसकी माप लगभग 1111 वर्ग फीट है। चतु सीमा : उत्तर में रोड, दक्षिण में फ्लेट नं. एम-53, पूर्व में फ्लेट नं. एम-51, पश्चिम में टॉवर-एन है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

~~उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के~~

अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-06-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
अलवर (राज०)